

¹[Rule 83A : Examination of Goods and Services Tax Practitioners

- (1) Every person referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 and who is enrolled as a goods and services tax practitioner under sub-rule (2) of the said rule, shall pass an examination as per sub-rule (3) of the said rule.
- (2) The National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (hereinafter referred to as "NACIN") shall conduct the examination.
- (3) **Frequency of examination.** – The examination shall be conducted twice in a year as per the schedule of the examination published by NACIN every year on the official websites of the Board, NACIN, common portal, GST Council Secretariat and in the leading English and regional newspapers.
- (4) **Registration for the examination and payment of fee.** –
 - (i) A person who is required to pass the examination shall register online on a website specified by NACIN.
 - (ii) A person who registers for the examination shall pay examination fee as specified by NACIN, and the amount for the same and the manner of its payment shall be specified by NACIN on the official websites of the Board, NACIN and common portal.
- (5) **Examination centers.** – The examination shall be held across India at the designated centers. The candidate shall be given an option to choose from the list of centers as provided by NACIN at the time of registration.
- (6) **Period for passing the examination and number of attempts allowed.** –
 - ²(i) Every person referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 and who is enrolled as a goods and services tax practitioner under sub-rule (2) of the said rule is required to pass the examination

1 Rule 83A inserted by Noti. No. 60/2018–Central Tax, dt. 30-10-2018 w.e.f. 30-10-2018.

2 Clause (i) substituted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 w.e.f. 09-10-2019. Earlier to substitution it read as under:

"(i) A person enrolled as a goods and services tax practitioner in terms of sub- rule (2) of rule 83 is required to pass the examination within two years of enrolment:

Provided that if a person is enrolled as a goods and services tax practitioner before 1st of July 2018, he shall get one more year to pass the examination:

Provided further that for a goods and services tax practitioner to whom the provisions of clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 apply, the period to pass the examination will be as specified in the second proviso of sub-rule (3) of said rule."

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

within the period as specified in the second proviso of sub-rule (3) of the said rule.]

- (ii) A person required to pass the examination may avail of any number of attempts but these attempts shall be within the period as specified in clause (i).
 - (iii) A person shall register and pay the requisite fee every time he intends to appear at the examination.
 - (iv) In case the goods and services tax practitioner having applied for appearing in the examination is prevented from availing one or more attempts due to unforeseen circumstances such as critical illness, accident or natural calamity, he may make a request in writing to the jurisdictional Commissioner for granting him one additional attempt to pass the examination, within thirty days of conduct of the said examination. NACIN may consider such requests on merits based on recommendations of the jurisdictional Commissioner.
- (7) **Nature of examination.**—The examination shall be a Computer Based Test. It shall have one question paper consisting of Multiple Choice Questions. The pattern and syllabus are specified in Annexure-A.
- (8) **Qualifying marks.**—A person shall be required to secure fifty per cent. of the total marks.
- (9) **Guidelines for the candidates.**—
- (i) NACIN shall issue examination guidelines covering issues such as procedure of registration, payment of fee, nature of identity documents, provision of admit card, manner of reporting at the examination center, prohibition on possession of certain items in the examination center, procedure of making representation and the manner of its disposal.
 - (ii) Any person who is or has been found to be indulging in unfair means or practices shall be dealt in accordance with the provisions of sub-rule (10). An illustrative list of use of unfair means or practices by a person is as under: -
 - (a) obtaining support for his candidature by any means;
 - (b) impersonating;
 - (c) submitting fabricated documents;
 - (d) resorting to any unfair means or practices in connection with the examination or in connection with the result of the examination;

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- (e) found in possession of any paper, book, note or any other material, the use of which is not permitted in the examination center;
 - (f) communicating with others or exchanging calculators, chits, papers etc. (on which something is written);
 - (g) misbehaving in the examination center in any manner;
 - (h) tampering with the hardware and/or software deployed; and
 - (i) attempting to commit or, as the case may be, to abet in the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.
- (10) **Disqualification of person using unfair means or practice.**—If any person is or has been found to be indulging in use of unfair means or practices, NACIN may, after considering his representation, if any, declare him disqualified for the examination.
- (11) **Declaration of result.**—NACIN shall declare the results within one month of the conduct of examination on the official websites of the Board, NACIN, GST Council Secretariat, common portal and State Tax Department of the respective States or Union territories, if any. The results shall also be communicated to the applicants by e-mail and/or by post.
- (12) **Handling representations.**—A person not satisfied with his result may represent in writing, clearly specifying the reasons therein to NACIN or the jurisdictional Commissioner as per the procedure established by NACIN on the official websites of the Board, NACIN and common portal.
- (13) **Power to relax.**—Where the Board or State Tax Commissioner is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, on the recommendations of the Council, relax any of the provisions of this rule with respect to any class or category of persons.

Explanation- For the purposes of this sub-rule, the expressions -

- (a) “jurisdictional Commissioner” means the Commissioner having jurisdiction over the place declared as address in the application for enrolment as the GST Practitioner in **FORM GST PCT-1**. It shall refer to the Commissioner of Central Tax if the enrolling authority in **FORM GST PCT-1** has been selected as Centre, or the Commissioner of State Tax if the enrolling authority in **FORM GST PCT-1** has been selected as State;

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- (b) NACIN means as notified by notification No. 24/2018-Central Tax, dated 28-05-2018.

Annexure-A

[See sub-rule 7]

Pattern and Syllabus of the Examination

PAPER: GST Law & Procedures:	
Time allowed:	2 hours and 30 minutes
Number of Multiple Choice Questions:	100
Language of Questions:	English and Hindi
Maximum marks:	200
Qualifying marks:	100
No negative marking	

Syllabus:	
1	The Central Goods and Services Tax Act, 2017
2	The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017
3	All The State Goods and Services Tax Acts, 2017
4	The Union territory Goods and Services Tax Act, 2017
5	The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017
6	The Central Goods and Services Tax Rules, 2017
7	The Integrated Goods and Services Tax Rules, 2017
8	All The State Goods and Services Tax Rules, 2017
9	Notifications, Circulars and orders issued from time to time under the said Acts and Rules.]

1[नियम 83क : माल और सेवाकर व्यवसायियों की परीक्षा

- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिनका संदर्भ नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) में हैं और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवाकर व्यवसायी के रूप में नामांकित किया गया है, उक्त नियम के उपनियम (3) के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।
- (2) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "अकादमी" कहा गया है) परीक्षा का संचालन करेगी।
- (3) **परीक्षा की बारंबारता.**— परीक्षा, बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल, माल और सेवा कर परिषद् सचिवालय की शासकीय वेबसाइट पर तथा प्रमुख अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों में अकादमी द्वारा प्रकाशित अनुसूची के अनुसार वर्ष में दो बार संचालित की जायेगी।
- (4) **परीक्षा के लिए रजिस्ट्रीकरण और फीस का संदाय.**—
 - (i) कोई व्यक्ति, जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है, अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर आनलाइन रजिस्टर करेगा।
 - (ii) कोई व्यक्ति जो परीक्षा के लिए रजिस्टर करता है, अकादमी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा फीस का संदाय करेगा और इसकी रकम तथा इसके संदाय की रीति बोर्ड, अकादमी तथा सामान्य पोर्टल की शासकीय वेबसाइट पर अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।
- (5) **परीक्षा केन्द्र.**— परीक्षा संपूर्ण भारत में अभिहित केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकरण के समय अकादमी द्वारा यथा प्रदत्त केन्द्रों की सूची से चयन का विकल्प दिया जाएगा।
- (6) **परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि और अनुज्ञात प्रयासों की संख्या.**—
 - ²(i) नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित हैं, उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परीक्षा पास करने के लिए अपेक्षित है।]

1 अधिसूचना क्रमांक 60/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 30.10.2018 द्वारा नियम 83क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.10.2018)।

2 अधिसूचना क्रमांक 49/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा खंड (i) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"(i) नियम 83 के उपनियम (2) के निबंधनानुसार माल और सेवाकर व्यवसायी के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति से नामांकन के दो वर्ष के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा :

परन्तु यदि किसी व्यक्ति को 1 जुलाई, 2018 के पूर्व माल और सेवाकर व्यवसायी के रूप में नामांकित किया जाता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक वर्ष और दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी माल और सेवाकर व्यवसायी के लिए, जिसको नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपबंध लागू होते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट होगी।"

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (ii) परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति कितनी बार भी प्रयास कर सकेगा किन्तु यह प्रयास खंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर होंगे।
- (iii) परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक बार रजिस्टर करना तथा अपेक्षित फीस का संदाय करना होगा।
- (iv) यदि माल और सेवा कर व्यवसायी अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि गंभीर रोग, दूर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण एक या अधिक प्रयासों का लाभ उठाने से निवारित हो जाता है, तो वह उसे उक्त परीक्षा के आयोजन से पंद्रह दिन के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक और प्रयत्न करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारिता आयुक्त को लिखित में अनुरोध कर सकेगा। अकादमी, अधिकारिता आयुक्त की सिफारिशों पर गुणागुण के आधार पर ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकेगा।
- (7) **परीक्षा की प्रकृति.**—परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षण होगी। इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों से मिलकर बना एक प्रश्न पत्र होगा। प्रतिमान और पाठ्यक्रम अनुलग्नक—क में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
- (8) **अर्हता अंक.**—किसी व्यक्ति से कुल अंकों का पचास प्रतिशत प्राप्त करना अपेक्षित होगा।
- (9) **अभ्यर्थियों के लिए मार्ग निर्देश.**—
- (i) अकादमी परीक्षा मार्गनिर्देश जारी करेगी जिसमें रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, फीस का संदाय, पहचान दस्तावेजों की प्रकृति, प्रवेश पत्र का उपबंध, परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करने की रीति, परीक्षा केन्द्र पर कतिपय वस्तुओं को रखने का प्रतिषेध, अभ्यावेदन करने की प्रक्रिया और इसके निपटान की रीति जैसे मुद्दे सम्मिलित होंगे।
- (ii) ऐसा व्यक्ति, जो अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग करने में लिप्त है या पाया गया है, को उप-नियम (10) के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग का दृष्टांत निम्न प्रकार है:
- (क) किसी भी साधन द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहयोग प्राप्त करना;
- (ख) प्रतिरूपण करना;
- (ग) जारी दस्तावेज प्रस्तुत करना;
- (घ) परीक्षा के संबंध में या परीक्षा के परिणाम के संबंध में किसी अनुचित साधनों या प्रथाओं का सहारा लेना ;
- (ङ.) किसी कागज, पुस्तक, नोट या किसी अन्य सामग्री का कब्जे में पाया जाना जिसके परीक्षा केन्द्र में प्रयोग करने की अनुज्ञा न हो;

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (च) दूसरों के साथ संवाद करना या केलकुलेटर्स, पर्चों, कागजों आदि (जिस पर कुछ लिखा हो) आदि का आदान प्रदान करना;
- (छ) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना;
- (ज) परिनियोजित हार्डवेयर और/या सॉफ्टवेयर के साथ गड़बड़ करना; और
- (झ) पूर्वगामी खंडों में विनिर्दिष्ट सभी कृत्यों या उनमें से कोई कृत्य, यथास्थिति, करने का प्रयास या दुष्प्रेरण करना।
- (10) **अनुचित साधनों या प्रथाओं या प्रयोग करने वाले व्यक्ति का निरहित होना.**—अकादमी यदि कोई व्यक्ति अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग में लिप्त है या पाया गया है, अकादमी उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई है, परीक्षा के लिए उसे निरहित घोषित कर सकेगी।
- (11) **परिणाम की घोषणा.**—अकादमी परीक्षा के संचालन के एक माह के भीतर बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल, माल और सेवा कर परिषद् सचिवालय और संबंधित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के कर विभाग, यदि कोई है, की प्राधिकृत वेबसाइटों पर परिणाम की घोषणा करेगी।
- (12) **अभ्यावेदनों पर कार्रवाई.**—ऐसा व्यक्ति जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, अकादमी या अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल की प्राधिकृत वेबसाइटों पर अकादमी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार लिखित रूप में कारणों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए अभ्यावेदित कर सकेगा।
- (13) **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां बोर्ड या राज्य कर आयुक्त की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके परिषद् की सिफारिशों पर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगा।

व्याख्या — इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, पद—

- (क) “अधिकारिता रखने वाला आयुक्त” से ऐसा आयुक्त अभिप्रेत है जो **जीएसटी पीसीटी-1 प्ररूप** में जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए आवेदन में पते के रूप में घोषित किए गए स्थान पर अधिकारिता रखता है। आयुक्त केन्द्रीय कर आयुक्त को यदि नामांकन करने वाले प्राधिकारी को **पीसीटी-1 प्ररूप** में केन्द्र के रूप में चयन किया गया है या राज्य कर आयुक्त को यदि **पीटीसी-1 प्ररूप** में नामांकन करने वाले प्राधिकारी का राज्य के रूप में चयन किया गया है।
- (ख) अकादमी से अधिसूचना संख्यांक 24/2018—केन्द्रीय कर, तारीख 28.05.2018 द्वारा यथा अधिसूचित अकादमी अभिप्रेत है।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

अनुलग्नक – क

[उप-नियम 7 देखिए]

परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र : जीएसटी विधि और प्रक्रिया :	
समय :	2 घंटे और 30 मिनट
एकाधिक विकल्प प्रश्नों की संख्या :	100
प्रश्नों की भाषा :	अंग्रेजी और हिन्दी
अधिकतम अंक :	200
अर्हक अंक :	100
कोई नकारात्मक अंक नहीं।	

पाठ्यक्रम :	
1	केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
2	एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
3	राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
4	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
5	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017
6	केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017
7	एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017
8	सभी राज्य माल और सेवा कर नियम, 2017
9	उक्त अधिनियमों और नियमों के अधीन समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र और आदेश]]